

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक/ 1798 /भेडाघाट/वि.यो.496/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 31-3 / / 2018

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय :- भेडाघाट विकास योजना 2021 के प्रकाशन संबंधी वैधानिक सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन बावत।

-0-

भेडाघाट विकास योजना का प्रकाशन मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18(1) के अंतर्गत दिनांक 2/04/2018 को किया जा रहा है। तत्संबंधी वैधानिक सूचना (हिन्दी) की पांच प्रतियां इस ज्ञापन के साथ संलग्न कर निवेदन है कि इसे मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 2/04/2018 में प्रकाशित कराने हेतु उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(स्वाति मीणा नायक)
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31-3 / / 2018

पृ.क्रमांक/ 1799 /भेडाघाट/वि.यो.496/2018
प्रतिलिपि,

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(स्वाति मीणा नायक)
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

क्रमांक/ 1796 /भेडाघाट/वि.यो.496/2018

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 31-9/11/2018

भेडाघाट विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि भेडाघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त जबलपुर , संभाग जबलपुर ,
2. कलेक्टर जबलपुर , जिला जबलपुर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी ,नगर परिषद भेडाघाट

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक(5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	भेडाघाट विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	7	7-सा-10	4	गैर प्रदूषणकारी उद्योग*
		कृषि	7	7-सा-10	8	गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या -

i * गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

टीप :- उपरोक्त i के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यारे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल